रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08082020-220978
CG-MH-E-08082020-220978

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/ श्रावण 14, 1942
No. 310]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SHRAVANA 14, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अगस्त, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में,-

(1) विनियम 16(1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, तीसरा परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि कनिष्ठ सचिवीय सहायक, कनिष्ठ लेखा सहायक, कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक या कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में कार्यरत कर्मचारी, जिसने सेवा के न्यूनतम सात वर्ष पूरे कर लिए हों और जो इन विनियमों के अनुसार अधिकारी ग्रेड 'ए' हेतु अपेक्षित अर्हताएँ (योग्यताएँ) रखता हो, उस पर ऐसे रिक्त पदों (रिक्तियों) के प्रति अधिकारी संवर्ग में ग्रेड 'ए' में पदांतरण (स्विच-ओवर) हेतु विचार किया जा सकेगा, जो दूसरे परंतुक के अनुसार कुल 10% रिक्त पदों की सीमा के भीतर होंगे और

जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाए, बशर्ते कि ऐसा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा तथा इस प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाए।"

(2) अनुसूची में,-

(i) शीर्षक वाली पंक्ति से लेकर "कार्यपालक निदेशक" के पद से संबंधित पंक्ति तक की पंक्तियाँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगी, अर्थात्, -

"

पद का नाम	**भर्ती का माध्यम और अलग-अलग माध्यमों से भरे जाने वाले पदों का अनुपात**	**सीधी भर्तियों / संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर भर्तियों (जहाँ कहीं भी लागू हो) के लिए आयु, अर्हता (योग्यता) एवं अनुभव**	**पदोन्नति के लिए सेवाकाल**	**प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता (योग्यता) एवं अनुभव**	**चयन समिति की संरचना**
कार्यपालक निदेशक [कार्यपालक निदेशक (विधि) के निर्धारित पद से भिन्न]	(क) पदोन्नति; (ख) सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति; (ग) संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर। कुल पदों में से दो-तिहाई पद आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) से और बाकी के एक-तिहाई पद प्रतिनियुक्ति / संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर भरे जाएँगे। किसी प्रवर्ग (श्रेणी) [अर्थात् आंतरिक तथा प्रतिनियुक्ति / संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर] में अभ्यर्थी (उम्मीदवार) उपलब्ध न होने की दशा	कम से कम 40 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एमबीए / एमएमएस [वित्त (फाइनेंस) में विशेषज्ञता के साथ] / सीए / सीएस / सीएफए / सीडब्ल्यूए / एलएलबी / अर्थशास्त्र, वित्त या ऐसी किसी अन्य शिक्षा-शाखा में स्नातकोत्तर जो बोर्ड की राय में उपयोगी हो, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित समस्याओं को निपटाने में कम से कम 20 वर्षों के अनुभव [अर्हता (योग्यता) प्राप्त करने के बाद का] अथवा विधि, अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), वित्त,	विधिक (लीगल) धारा को छोड़कर सभी धाराओं के ग्रेड 'एफ' के आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) [जिन्होंने ग्रेड 'एफ' में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो] की पदोन्नति	सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति – जिसके पास प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित समस्याओं को निपटाने में कम से कम 20 वर्षों के अनुभव अथवा विधि, अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), वित्त, अर्थशास्त्र, लेखा-कर्म (अकाउंटेंसी), प्रशासन या ऐसे किसी अन्य क्षेत्र के विशेष ज्ञान / अनुभव के साथ जो बोर्ड हेतु उपयोगी माना जाए।	अध्यक्ष, बोर्ड के दो अन्य सदस्य तथा दो बाहरी विशेषज्ञ (जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएँगे) चयन समिति में होंगे। सरकारी या अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति के मामले में, प्रतिनियुक्ति की शर्तें आदि तय करने के लिए उस संगठन से परामर्श किया जाएगा, जहाँ से अभ्यर्थी (उम्मीदवार) को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा रहा हो।

	में, पद अन्य प्रवर्गों से भरा जा सकेगा।	अर्थशास्त्र, लेखा-कर्म (अकाउंटेंसी), प्रशासन या किसी अन्य क्षेत्र के विशेष ज्ञान / अनुभव के साथ।			
कार्यपालक निदेशक (विधि)		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एलएलबी, विधि के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों के अनुभव [अर्हता (योग्यता) प्राप्त करने के बाद का] के साथ।	विधिक (लीगल) धारा के ग्रेड 'एफ' के आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) [जिन्होंने ग्रेड 'एफ' में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो] की पदोन्नति	सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति – जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एलएलबी की डिग्री हो, विधि के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों के अनुभव [अर्हता (योग्यता) प्राप्त करने के बाद का] के साथ ।	

"

(ii) ग्रेड डी, ई एवं एफ (श्रेणी घ, ङ एवं च) के पद से संबंधित पंक्ति में, छठे कॉलम में दिए हुए शब्द और चिह्न निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात्, -

"न्यूनतम तीन सदस्य – दो आंतरिक तथा एक बाहरी ।

सरकारी या अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति के मामले में, प्रतिनियुक्ति की शर्तें आदि तय करने के लिए उस संगठन से परामर्श किया जाएगा, जहाँ से अभ्यर्थी (उम्मीदवार) को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा रहा हो ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./164/2020-21]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. वे तत्पश्चात् -

(क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा

(ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा

(ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा

(घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा

(ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा

(च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/26/31671, द्वारा

(छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/03/5290, द्वारा

(ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा

(झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2013-2014/27/6721, द्वारा

(ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा

(ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन. 2015-16/002, द्वारा

(ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा

(ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा

(ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा

(ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा

(त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा

(थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा

(द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा

(ध) 13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा

(न) 8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th August, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE)) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020 /26.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001,–

(1) after the second proviso to regulation 16(1), third proviso shall be inserted, namely,-

"Provided further that an employee working as Junior Secretarial Assistant, Junior Accounts Assistant, Junior Library Assistant or Junior Engineer, who has completed minimum seven years of service and possesses the requisite qualifications for Officer Grade A as given in these Regulations, may be considered for switch over to Grade A in the Officer cadre against the vacancies, which shall be within the overall 10% vacancies as mentioned in the second proviso and as may be notified by the Competent Authority subject to such employee qualifying in the departmental test conducted by the Competent Authority or by an outside agency engaged by the Board and interview to be conducted by the Competent Authority for this purpose."

(2) in the Schedule, –

(i) the text of row 2 relating to the post of "Executive Director" under the headings mentioned in the six columns shall be substituted by the following, namely, -

"

Name of the post	**Mode of Recruitment & proportion of posts to be filled up through different modes**	**Age, Qualification & Experience for Direct recruits/Contract Recruits, wherever applicable**	**Length of service for promotion**	**Qualification & Experience for Deputation**	**Composition of the selection Committee**
Executive Director [other than the designated post of Executive Director (Law)]	(a) Promotion; (b) Deputation from Govt., RBI, Banks, Financial Institutions & Academic institutions; (c) On contract basis 2/3rd of the total posts from internal candidates and the remaining 1/3rd to be filled up by deputation / contract. In case of non-availability in any category i.e. internal and deputation/ contract, the post may be filled from other categories.	Not less than 40 years and not more than 55 years. MBA/MMS (with specialization in Finance) / CA / CS /CFA / CWA/ LLB/ Post Graduation in Economics, Finance or any other discipline which in the opinion of the Board is useful, from a recognized University /Institution with a minimum of 20 years of post-qualification experience in dealing with problems relating to securities market or special knowledge / experience of law, investigation, Finance, Economics,	Promotion of internal candidates from Grade F of all streams except Legal stream with minimum of 3 years' service in the said grade	Deputation from Govt., RBI, Banks, Financial Institutions, with not less than 20 years of experience in dealing with problems relating to securities market or special knowledge / experience of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Administration or any other discipline considered useful to the Board.	Chairman, two other members of the Board and two external experts to be nominated by the Chairman shall constitute the Selection Committee. In case of deputation from Govt. or other organizations, terms and conditions of deputation to be finalized in consultation with the lending organization.

		Accountancy, Administration or any other discipline.			
Executive Director (Law)		LLB from a recognized University/ Institution with a minimum of 20 years of post-qualification experience in law.	Promotion of internal candidates from Grade F of legal stream with minimum of 3 years' service in the said grade	Deputation from Govt., RBI, Banks, Financial Institutions, having an LLB from a recognized University/ Institution with not less than 20 years of post-qualification experience in law.	

"

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty./164/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).

2. They were subsequently amended –

   (a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.

   (b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).

   (c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.

   (d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.

   (e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.

   (f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.

   (g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.

   (h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.

   (i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.

   (j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.

   (k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.

   (l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.

(m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.

(n) On 27th April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.

(o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.

(p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.

(q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.

(r) On 31st May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.

(s) On 13th August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.

(t) On 8th May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15.

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 18:05:58 +05'30'